

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3330-KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PEETAMPUR DERAPUR, N H -2, SIKANDARA, KANPUR DEHAT

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/-

Kamal Institute of Technology



Chairman
Kanpur Dehat

प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-राज्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-राज्या ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

Kamal Institute of Technology

सचिव


Chairman
Kanpur Dehat

पू0स0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक, 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KAMAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PEETAMPUR DERAPUR, N H -2, SIKANDARA,
KANPUR DEHAT


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Kamal Institute of Technology


Chairmen
Kanpur Dehat

**कार्यालय,
संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

संख्याक- दिनांक- 15-8-2020

--कार्यालय ज्ञाप--

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संघ दिल्ली/कार्मिसी कार्यालय ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा वित्तिय सत्र 2020-21 हेतु वित्तिय सत्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संस्थाक से सम्बद्धता/एम्बेड्डिंग विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिसूचित किया गया। प्राविण 2020 लखनऊ को अधिसूचित व परिषद कार्यालय व बैंक के सम्पर्क में है। बैंक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में अर्थात् संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता मुक्ति समिति अन्य मर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मंत्र-2 में विधायक इन इच्छी पाठ्यक्रम समाहित करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर विस्तार निर्णय किया गया -

निम्नी श्रेण में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनी पाठ्यक्रम समाहित करने वाली विधायक सत्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एम्बेडिग/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु पर्याप्त अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एम्बेडिग/सीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्त नाम के सामूहिक अर्थात् पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्बेडिग/सीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु पर्याप्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को कांठ सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेचन के उपरान्त निर्णय के अनुक्रम में वित्तिय सत्र 2020-21 के प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्णयित मर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एम्बेडिग/सीटीआई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर	कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर	सिविल इंजीनी	80	80
			इलेक्ट्रिकल इंजीनी	80	80
			इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनी	80	80
			मैकेनिकल इंजीनी	80	80
			मेकैनिक्स इंजीनी	80	80

सम्बद्धता हेतु मर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु एम्बेडिग/सीटीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में कुल पाठ्यक्रम हेतु ₹ 20,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों में कार्मिसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 10,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों में कार्मिसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 20,00,000 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रदान किया जायेगा। अनुमोदन के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर आसाम द्वारा निर्गत किये जाने वाले कार्यालय/प्रणाली श्रेण और अनुसूचक

Kamal Institute of Technology
(Signature)
Chairman
Kampur Dehat

अनुसंधान किंग्डम नाम आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण स्थिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का सुनिश्चरण किया जाता है, तो नीचे की सुनिश्चरण एवं लागू होगी।

- ✓ संस्था जो (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों में) उप सुनिश्चित संस्थाओं को संबद्ध किया जाना) डिनिशियेशन-2020 को पूर्ण का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आर्हाइव नहीं हो ही प्रवेश दिया जाएगा। नीचे के दिक्कत यह जान की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जाएगी।
- ✓ संस्था का समस्त-समस्त पर निर्भर करतलक्षण को अनुसंधान निर्देशान एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगी।
- ✓ संस्था को ए0आर्डीएन0/2017/2018 / पीसी0आर्डी0 से आरंभ की जाए हेतु अनुसंधान प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / सामाजिक / निर्देशों एवं विदेशिक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा निर्देशान 2020 द्वारा बनाये गये विदेशिक निर्देशान, आदेशों निर्देशों का पालन करने को लिये बाध्य होगी।
- ✓ विदेशिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की संस्थाओं को ए0आर्डीएन0/2017/2018 से अनुसंधान प्रारंभ करने से अवसर नहीं है या इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व रखने का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्रवाई को लिए संस्था बना उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा प्राथमिक शिक्षा निर्देशानों एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को लगे हुए कार्य किये जाता है तथा उत्तर प्रदेश के समस्त में ना आर्डीएन0 द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त सब्सिडी आवेक भिन्न किये जाय है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ विदेशिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश एवं को विधि अनुसंधान प्रवेश परीक्षा हेतु अनुसंधानित प्रारंभ होने के पूर्व ए0आर्डीएन0 से अनुसंधान प्रवेश एवं परीक्षा उत्तरदायित्व को सम्पन्न करना होगा अन्यथा लगे प्रवेश की (कारुणिकता के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीईओ प्रवेश) अनुसंधान नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गैर निर्भर नवीकरण आदेशान निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की पंजीयनित सुविधाओं स्टॉक सार-संस्था: ए0आर्डीएन0 प्रवेश किया जाने वाला शुल्क आवाजान शुल्क आदि का निर्धारण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-अभिवृत्त हेतु अनुसंधान आवाजान उत्तरदायित्व करने के साथ शैक्षणिक संस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / अनुसंधानित आवाजान को उत्तरदायित्व हेतु निर्देशान जारी होने के साथ उपलब्ध कराने एवं अनिवार्य सुविधा-सुविधा परीक्षा पर उत्तरदायित्व शुल्क का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य आवाजान के उत्तरदायित्व में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को इनका उत्तरदायित्व होती है कि संस्था उत्तरदायित्व का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तरदायित्व संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाए की अनुसंधान की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधानित आवाजान की जाएगी।

(का) उत्तरदायित्व
रहित

पृष्ठ- प्राथमिक/निदेशिक सम्बद्धता/2020/ 1072-3441

तारीख- 15-09-2020

प्राथमिक- उपायुक्त/निदेशिक कमल इन्टीरग्रूट कॉलेज देवनागरी, पीतपुर देवपुर देवपुर-3 सिक-का, कागपुर देवपुर।

आवाजान

(का) उत्तरदायित्व
रहित
Kamla Institute of Technology
Chairman
Kanpur Dehri